डाटा ऑपरेटरों ने स्वास्थ्य मंत्री की शिकायत मानवाधिकार आयोग में की

https://www.livehindustan.com/bihar/bhagalpur/story-data-operators-complained-to-the-health-minister-to-the-human-rights-commission-4859116.html

सदर अस्पताल में कार्यरत कुछ डाटा ऑपरेटरों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की शिकायत की है। डाटा ऑपरेटरों का कहना है कि पिछले अगस्त में मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर पत्नी के नाम से एनजीओ बना लिया और स्वास्थ्य विभाग में उसी एजेंसी द्वारा डाटा ऑपरेटरों की आपूर्ति का काम शुरू कर दिया।

ऑपरेटरों का यह भी कहना है कि उनके मानदेय के लिए जितने पैसे सरकार देती है, उतने पैसे उन्हें नहीं मिलते। ऑपरेटरों का कहना है कि पिछले साल सितंबर से इस साल अप्रैल तक का वेतन रोक दिया गया है, तािक दबाव में आकर मंत्री की पत्नी के नाम से पंजीकृति एजेंसी में पंचीयन कराया जाये। डाटा ऑपरेटरों के आरोप पर सिविल सर्जन डॉ उमेश शर्मा ने बताया कि ज्यादातर डाटा ऑपरेटर उसी एजेंसी के तहत कार्य कर रहे हैं पर कुछ ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कुछ डाटा ऑपरेटर कोर्ट भी गये थे पर वहां उनकी हार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में हार के बाद भी मानवता के नाते उन डाटा ऑपरेटरों को कार्य पर रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल मार्च तक मानदेय सभी को भुगतान किया जा चुका है।

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Ending Manual Scavenging: Policymaking Needs to Innovate

https://www.newsclick.in/Ending-Manual-Scavenging-Policymaking-Needs-Innovate-Beyond-Compensation

EARLIER this year, the Union Ministry of Social Justice and Empowerment told the Rajya Sabha that no deaths have been reported due to manual scavenging in the last five years. In what is indicative of the State's approach to the issue, the statement appeared to be a duplicitous attempt to escape accountability.

Contrary to the Indian government's insistence, manual scavenging and its consequences still persist. 472 deaths due to manual scavenging have been reported across the country between 2016 to 2020, and 26 alone in the year 2021, according to Bezwada Wilson, the national convener of the Safai Karamchari Andolan. Even the National Commission for Safai Karamcharis (NCSK), the statutory body working for the welfare for safai karamcharis, had revealed that 123 people lost their lives due to manual scavenging between 2017 and 2018 alone.

Also read: Data on manual scavenging, despite the ban, remains sketchy LIMITED STATE EFFORTS

Since the late 20th century, successive parties in power have failed to employ a macro perspective to their understanding of manual scavenging. Understandably then, State efforts have consistently been characterized by i) compensation efforts plagued by lethargic and inefficient distribution mechanisms; ii) insistence on technological interventions that are rarely executed on the ground and iii) failure to implement the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013 (the Act) in its true spirit.

The judiciary has, time and again, attempted to ensure that the state governments fulfil their duties and sufficient compensation to the kin is provided in a timely fashion. Relying on the 2014 Supreme Court judgment in the case of Safai Karamchari Andolan & Ors. vs. Union of India & Ors., high courts in Delhi, Madras, Odisha and Kerala have awarded compensation to the kin of those who lost their lives due to manual scavenging. Notably, in September 2021, the Bombay High Court ordered the Maharashtra Government to pay INR 10 lakhs to widows of manual scavengers, even though the deceased were employed by a private company.

In the absence of a broader understanding of relevant bottlenecks, the plight of manual scavengers is unlikely to change. Over the years, the focus of the policy interventions has been limited to compensation and technological innovation; consequently, progress in eradicating manual scavenging has been sluggish. We need more comprehensive solutions that give caste and gender inequality, the digital divide and access to finance due consideration.

Also read: Lack of water supply makes sanitation workers manually scavenge Indian toilets

RECOGNIZING AND GIVING VOICE TO CASTE AND GENDER REALITIES

Reports have long suggested that 99 % of those involved in manual scavenging are Dalits and among them, 95 % are women. The Act recognizes that manual scavenging arises from the caste system. However, the only manner in which it attempts to incorporate caste considerations is by reserving membership for representatives of Scheduled Castes (SCs) in certain committees. Neither the Act, nor the proposed 2020 amendment bill attempted to correct historical injustices suffered by Indian Dalits.

Contemporary developments suggest that the situation is not going to change. The current government seems unlikely to consider caste inequalities as a relevant criterion to inform policies. Earlier this year, the Union government ruled out conducting a socio-economic caste census and refused to disclose data from the 2011 caste based census, on grounds of inconsistencies. The government was also criticized for not consulting Dalit rights groups while formulating the 2020 amendment bill for the Act. Giving effective weightage to factors of caste inequality is a pre-requisite for any policy on manual scavenging, something successive governments have failed to do.

Further, despite the high percentage of women engaged in manual scavengers, their concerns find negligible visibility in policy discussions and popular discourse. Focussing on the plight of women engaged in the profession has the potential to curate solutions centred on gender equality.

Also read: Gujarat High Court pulls up state govt for the death of a manual scavenger NO FOCUS ON FINANCIAL OR DIGITAL INCLUSION

While the Act and relevant schemes provide for scholarships, financial aid and loans as part of rehabilitation measures, access to these remains scarce. Due to limited financial inclusivity, for e.g., access to the banking system and financial products, many manual scavengers are eligible yet unable to reap benefits. As recognized by the National Human Rights Commission, there is a need to ensure that banks simplify their processes to be more convenient for manual scavengers.

There is a pressing need to bring those on the margins of society within the financial ecosystem to safeguard their socio-economic interests. Ensuring convenient access to financial benefits will go a long way in ensuring that those who escape manual scavenging do not have to return to the practice.

Digital inclusion initiatives that keep practical realities in mind also need to be implemented. Meaningful and contemporary socio-economic development that enables a sustainable life outside of manual scavenging necessitates access to digital technologies. Unfortunately, Dalits and women, who form the majority of manual scavengers in the country, are among the worst sufferers of the digital divide, according to reports.

State governments have acknowledged the same and have attempted to tackle it. For instance, last year, the Uttar Pradesh government launched a scheme wherein 500 Dalit youths, including 100 manual scavengers could register themselves as 'banking correspondents' of nationalized banks. After submitting a security amount of INR

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

15,000, the correspondents can work as an interface between the Dalit community and the banks, helping the community to access online transactions and welfare schemes. It was also proposed to provide them interest free loans to buy computers, printers and finger-printing machines.

No information is available publicly about the status of the scheme's implementation. It remains to be seen how a scheme that does not focus on building digital infrastructure in Dalit majority areas and inculcating digital literacy in the community performs in the state.

Also read: Do sanitation workers identify themselves with Ambedkar and Gandhi? Caste and gender inequality, limited access to finance and digital divide are not the only determinants of the plight of manual scavengers in the country. However, these are a few factors that have slipped through the cracks in the policymaking process and the national discourse on manual scavenging.

Increased consultation of the government with civil society, the financial sector and stakeholders in the digital ecosystem is, therefore, imperative to holistically approach the issue. Further, the focus of the academic, legal and business fraternity needs to be drawn to the ability of caste and gender identities, digital technologies as well as the banking system to impact the lived realities of manual scavengers.

Bilaspur छत्तीसगढ़ में महिला सिपाही ने मां-बेटी को नंगा कर पुरुष साथियों के सामने पीटा

https://samacharnama.com/states/chhattisgarh-news/in-bilaspur-chhattisgarh-a-female-constable-stripped-mother/cid5548374.htm

छतीसगढ़ के प्लिस प्रम्ख को बिलासप्र के एक थाने में एक बुज्र महिला और उसकी बेटी को पुरुष सहकर्मियों के सामने एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा कथित रूप से नग्न और बुरी तरह पीटे जाने की खबरों पर नोटिस जारी किया है। इसे "अमानवीय और बर्बर कृत्य" बताते ह् एक बयान में कहा कि उसने इस मामले पर एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अन्सार, 60 वर्षीय महिला और उसकी 27 वर्षीय महिला -एनएचआरसी ने कहा कि चोरी के आरोप में गिरफ्तार की गई बेटी कोसिटी कोतवाली थाने में पुरुष पुलिस अधिकारियों के सामने एक महिला पुलिस कर्मियों ने निर्वस्त्र कर बुरी तरह पीटा था. मां ने इलाज के लिए अनुरोध किया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर भी चोट के निशान थे। आयोग ने छत्तीसगढ़ के प्लिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर मांग की है। दोषी प्लिस कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विवरण के साथ चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट। नोटिस जारी करते हुए, एनएचआरसी ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मृद्दा उठाती है। "एक बार जब किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है, तो उसकी स्रक्षा स्निश्चित करना प्लिस अधिकारियों का कर्तव्य बन जाता है, लेकिन इस मामले में, प्लिस कर्मियों ने ख्द क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया और पीड़ितों को शारीरिक यातना दी, जो एक अमानवीय और बर्बर कृत्य है।" अदालत ने, कथित तौर पर, एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा मामले की जांच का आदेश दिया है

विभिन्न मानवाधिकार उल्लंघनों के बीच आयोग के अध्यक्ष द्वारा सरकार की तारीफ़ के क्या मायने हैं

http://thewirehindi.com/190174/nhrc-justice-arun-mishra-narendra-modi-govt/

अट्ठाइस साल पहले जिस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देशवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, साथ ही उल्लंघन पर नजर रखने के लिए गठित किया गया था, वह अपने स्थापना दिवस पर भी उनके उल्लंघन के विरुद्ध मुखर होने वालों पर बरसने से परहेज न कर पाए, तो इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि अब मवेशियों के बजाय उन्हें रोकने के लिए लगाई गई बाइ ही खेत खाने लगी है?

यही तो कि पिछले सात सालों से लगातार होता आ रहा संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण उस मुकाम पर जा पहुंचा है, जहां आम आदमी को उनसे कोई संरक्षण मिलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह जाती! लेकिन अब मामला इतना ही नहीं है.

देश के जिस सबसे संवेदनशील राज्य कश्मीर में मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन होता है और जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार के पेंच कसे रखना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दायित्व है, गृहमंत्री अमित शाह की मार्फत उसे वहां ही नहीं, पूर्वोत्तर के सारे राज्यों में शांति के नये युग आगाज होता दिखाई देने लगा है और उसके अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इसके लिए गृहमंत्री की तारीफ में अपने पद की संवैधानिक गरिमा की रक्षा की भी परवाह नहीं कर रहे.

तिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जिरये आयोग के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कर्तई यह चिंता नहीं होती कि उनके राज में देश भर में मानवाधिकारों का हाल बुरा हो गया है और उनके बढ़ते उल्लंघनों के कारण अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सूचकांकों में देश की रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है. इसके बरक्स वे चिंता जताते हैं कि कुछ लोगों द्वारा, जाहिर है, उनका संकेत अपने विरोधियों की ओर ही था, मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघनों को लेकर 'सलेक्टिव एप्रोच' से काम लिया जाता है.

प्रधानमंत्री के ही शब्दों में कहें तो 'मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है, जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू से तौला जाता है.' और 'इस तरह का सलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है.' आगे वे अपनी बात में यह जोड़े बिना भी नहीं रह पाते कि हाल के वर्षों में कुछ लोग मानवाधिकारों की व्याख्या अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने हितों को देखकर करने लगे हैं. एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता.

समझना कठिन नहीं है कि यह सब कहने के पीछे प्रधानमंत्री की 'पॉलिटिक्स' क्या है? लेकिन अगर वे हर नागरिक के मानवाधिकारों की सुरक्षा की अपनी सरकार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति या संगठन का किसी एक मामले में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाना या उसे लेकर संघर्ष करना तब तक गर्हित माना जायेगा, जब तक वह मानवाधिकार उल्लंघन के वैसे सारे मामलों को लेकर आवाज नहीं उठाता तो निस्संदेह, यह मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही रोक देने की कवायद है.

ऐसे में यह सवाल कहीं ज्यादा मौजूं हो जाता है कि क्या किसी एक मामले में, उसके पीड़ित अपने हां या पराये, मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ मुखर होना चाहने वालों को इसके लिए तब तक इंतजार करना चाहिए, जब तक वे ऐसे सारे मामलों पर मुखरता का बोझ उठाने में समर्थ न हो जायें?

लेकिन कोई तो बताए कि वे इतने समर्थ क्योंकर हो सकते हैं? वे कोई सरकार नहीं हैं न.

सच पूछिए तो यह देखना और सुनिश्चित करना तो सरकारों का काम है कि देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो. कोई नागरिक या स्वयंसेवी संगठन तो जिस भी मामले में जिस भी तरह से अपनी पसंद के हिसाब से चुनकर ही सही ऐसे जो भी मामले सरकार के संज्ञान में लाता है, तो उसकी मदद ही करता है. वह सरकारों को रोकता तो नहीं है, कायदे से कहना चाहिए कि रोक ही नहीं सकता, कि वह दूसरे ऐसे मामलों में मानवाधिकार हनन न रोके, जिन्हें वह नहीं उठा रहा.

लेकिन हद है कि इस मदद के लिए उसके कृतज्ञ होने के बजाय प्रधानमंत्री अब उसकी सलेक्टिव होने की सहूलियत भी छीन लेना चाहते हैं. यह वैसे ही है जैसे किसी मामले में गवाही देने गए व्यक्ति से पूछ रहे हों कि तुम इसी एक मामले में गवाही क्यों दे रहे हो, बाकी मामलों में क्यों नहीं दे रहे?

दूसरी ओर बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभानअल्ला की हालत है! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने भी 'फैसला' सुना दिया है कि 'मानवाधिकारों के संरक्षक' व्यक्ति और स्वयंसेवी संस्थाएं मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले ही उठाते रह गए और उन्होंने राजनीतिक हिंसा व आतंकवाद की कड़ी निंदा नहीं की या करने को लेकर उदासीन रह गए, तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा.

इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बेहतर काम हो रहा है क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा विवादों के शांतिपूर्ण व कानूनी निवारण में यकीन रखता है. यानी कोई समस्या नहीं है और जब समस्या ही नहीं है तो कुछ करने या चिंतित होने की जरूरत ही क्या है? इस सवाल को आगे बढ़ाएं तो फिर मानवाधिकार आयोग की भी भला क्या जरूरत है?

इस सिलिसिले में एक और बात काबिल-ए-गौर है. संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में दस दिसंबर को मानवाधिकारों का जो चार्टर जारी किया था और जिस पर भारत समेत दुनिया के प्रायः सारे सभ्य व लोकतांत्रिक देशों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं, उसमें मानवाधिकारों को यथोचित रूप से पिरभाषित किया गया है. उन्हीं पिरभाषाओं को स्वीकारते हुए भारत ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण कानून बनाया और उसी साल 12 अक्तूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की. उद्देश्य थाः मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना. उनके उल्लंघन का संज्ञान लेना, उसकी जांच करना और सार्वजिनक प्राधिकारों द्वारा पीड़ितों के लिए मुआवजे आदि की सिफारिश करना.

लेकिन अब प्रधानमंत्री और इस आयोग के अध्यक्ष दोनों मिलकर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत मनुष्यमात्र को हासिल मानवाधिकारों को अपनी संकीर्ण 'राष्ट्रवादी' परिभाषाओं और व्याख्याओं के हवाले करने के फेर में लगते हैं. इसीलिए प्रधानमंत्री उक्त चार्टर की बात नहीं करते. कहते हैं कि 'हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया. एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय-अत्याचार का प्रतिरोध किया. एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को 'अधिकार और अहिंसा' का मार्ग सुझाया.'

उनकी बात मान लेते हैं, सुझाया होगा भाई, लेकिन अभी तो सवाल कुल मिलाकर इतना-सा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जिन मानवाधिकारों की अंतरराष्ट्रीय गारंटी है, उनकी भारत में क्या हालत है? अगर उनकी रक्षा को लेकर कोई समस्या ही नहीं है, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष ने कहा है, तो सूचकांकों में देश की रेटिंग लगातार गिरती क्यों जा रही है? क्या सरकार और आयोग को उसे गिरने से बचाने की जिम्मेदारी याद दिलाने वालों के कारण?

ऐसा है तो क्या इसका एक अर्थ यह भी नहीं कि आयोग के अध्यक्ष द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में कार्यरत रहते 'ग्लोबल थिंकिंग से संपन्न इंटरनेशनल जीनियस' के रूप में

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

प्रशंसित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब, 'जम्मू कश्मीर समेत पूरे पूर्वोत्तर में शांति का नया युग लाने वाले' नायक के रूप में प्रशंसित गृहमंत्री अमित शाह पर ये सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने वाले भारी पड़ रहे हैं? भला क्यों?

क्या इसीलिए नहीं कि मानवाधिकार रक्षकों को कोसने वाली सरकार ने खुद सलेक्टिव एप्रोच अपनाकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रखा है?



NHRC, India, organised a function to celebrate its 28th Foundation Day on October 12. Addressing the gathering, through video conference, the PM said that the whole world sees India as a symbol of human values and the NHRC is providing strength to these moral resolutions.

NHRC-SHRCs decide to set-up a joint committee

The National Human Rights Commission, NHRC and the State Human Rights Commissions, SHRCs have decided to set up a joint committee to chalk out time bound collaborative action plan to ameliorate the cause of human rights in the country. The decision was taken at NHRC-SHRC interface meeting. Earlier, Justice AK Mishra, Chairperson, NHRC inaugurated the meeting in the presence of NHRC members.

'स्वास्थ्य मंत्री ने पत्नी के नाम से बनाया एनजीओ'

भागलपुर वरीय संवाददाता

सदर अस्पताल में कार्यरत कुछ डाटा ऑपरेटरों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की शिकायत की है। डाटा ऑपरेटरों का कहना है कि पिछले अगस्त में मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर पत्नी के नाम से एनजीओ बना लिया और स्वास्थ्य विभाग में उसी एजेंसी द्वारा डाटा ऑपरेटरों की आपूर्ति का काम शुरू कर दिया।

ऑपरेटरों का यह भी कहना है कि उनके मानदेव के लिए जितने पैसे सरकार देती है, उतने पैसे उन्हें नहीं मिलते। ऑपरेटरों का कहना है कि पिछले साल सितंबर से इस साल अप्रैल तक का वेतन रोक दिया गया है, ताकि दबाव में आकर मंत्री की पत्नी के नाम से पंजीकृति एजेंसी में

आरोप

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ऑपरेटरों ने की शिकायत
- मानदेय के अनुसार एजेंसी ने नहीं किया भुगतान

पंचीयन कराया जाये। डाटा ऑपरेटरों के आरोप पर सिविल सर्जन डॉ उमेश शर्मा ने बताया कि ज्यादातर डाटा ऑपरेटर उसी एजेंसी के तहत कार्य कर रहे हैं पर कुछ ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कुछ डाटा ऑपरेटर कोर्ट भी गये थे पर वहां उनकी हार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में हार के बाद भी मानवता के नाते उन डाटा ऑपरेटरों को कार्य पर रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल मार्च तक मानदेय सभी को भुगतान किया जा चुका है।